इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 567] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 24, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 1-57-2005-एक-13.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986 के नियम 2 में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 1986 के नियम (2) (स्पष्टीकरण छोड़कर) के स्थान पर निम्न नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(2) स्वतंत्रता संग्राम सैनानी को ऐसी समस्त गंभीर बीमारियों यथा कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, घुटना जोड़ बदलना, हिप बदलना, न्यूरो सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, टी. बी., कृत्रिम अंग लगाना आदि के इलाज के लिये जिन्हें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गंभीर प्रवृत्ति की प्रमाणित किया गया हो, चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी.''

2. उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.